

2022/23

(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जयसिंह यादव झुंझुनू

बनाम

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री लालचन्द, मै0 श्री प्रेमी मिष्ठान भण्डार एण्ड केटर्स, पुराना बस स्टैण्ड,
मलसीसर, निवासी वार्ड नम्बर 22, मलसीसर, जिला झुंझुनू।

प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

प्रकरण संख्या- 2 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुक्म की तामील में जाशी हुए
11.03.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.04.2022 को पेश हो।	
12.04.2022	अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। गैरसायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.04.2022 को पेश हो।	
13.04.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त कथन है कि उसने मै0 श्री प्रेमी मिष्ठान भण्डार, एण्ड कैटर्स, के नाम से पुराना बस स्टैण्ड मलसीसर में मिठाई की दुकान कर रखी है। जहां वह बाहर गांव से दूध खरीदकर कलाकन्द (मावा मिठाई) तैयार करता है। अनावेदक ने कलाकन्द में अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./978/एक्ट/2021/128 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) अनसेफ (Unsafe) पाया गया है। जो एफ.एस. एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 श्री प्रेमी मिष्ठान भण्डार, एण्ड कैटर्स पर कलाकन्द (मावा मिठाई) स्वयं तैयार करता है तथा दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) के अनसेफ (Unsafe) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री सुभाष कुमार पुत्र लालचन्द मै0 श्री प्रेमी मिष्ठान भण्डार एवं कैटर्स, पुराना बस स्टैण्ड मलसीसर निवासी वार्ड नम्बर 22, मलसीसर झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्जा दाखिल दपतर हो।	

38



अति.जिला कलक्टर,
झुंझुनू